

अतिरिक्त दिनांक 23/11/2016
कोटपुलवा (जयपुर)

दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर हो।

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकनीक जाबा दाखिल जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार है। अतः प्रोकर सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अभिम कायवाही की जाने का कोई आशय प्रतीत नहीं होता। मन्सूख हो गया है तो प्ररनात प्रकरण में किसी प्रकार की आवदन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा रिटिडेशन में अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेन्स के एक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकर सरकार ने उक्त भू-आवदन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवृत्त की गयी विवाहित भूमि का आवृत्त रेस्पॉन्डेन्स को भू-आवदन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने प्रोकर सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्तावेजात पेश किये।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित भू-आवदन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपेक्ष में इस्तनात प्रकरण में वर्तित आराजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित रिटेशन नम्बर 3374/2005 व उन्वानी छोट एवं अन्य बनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बूच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब तहसीलदार कोटपुलवा) ने उपस्थित होकर प्ररनात होल्डर तहसीलदार कोटपुलवा की ओर से प्रोकर सरकार पत्रावली पेश कृयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लौपड

22-11-16

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक 22/11/16

212/2005